सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-23.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री दामोदर रावत, स०वि०स० श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स० श्री मिथिलेश कुमार, स०वि०स० डॉ० सी०एन० गुप्ता, स०वि०स० श्री कुंदन कुमार, स०वि०स० श्री ललित नारायण मंडल, स०वि०स०	" राज्य के नगर निकायों यथा-नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत की बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार के माननीय मंत्री, विधायक, विधान पार्षद अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेज सकते हैं क्योंकि प्रासंगिक नियमावली में इसका प्रावधान नहीं है । अत: नियमावली में संशोधन कर इन महानुभावों के द्वारा प्राधिकृत इनके प्रतिनिधियों को भी नगर निकायों की बोर्ड में भाग लेने का प्रावधान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	नगर विकास एवं आवास

2. श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० श्री विद्या सागर केशरी, स०वि०स० श्री भूदेव चौधरी, स०वि०स० श्री ललन कुमार, स०वि०स०	''बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली 2014 के प्रावधानों के अनुरूप नियमावली की अनुसूची-1 में शामिल खेल विधाओं के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के समूह ग के 136 और समूह घ के 122 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निकाली गई जिसकी अंतिम तिथि-25.07.2015 थी । विभागीय प्रपत्र संख्या-212, दिनांक-23.01.2016 द्वारा शुद्धि पत्र प्रकाशित किया गया परंतु आजतक नियुक्ति नहीं हुई है । नियुक्ति नहीं होने के कारण विज्ञापन प्रकाशन होने के बाद चयन की शर्त्तों में बदलाव किया गया जो बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली 2014 के नियम-2(V) के विपरीत था । उल्लेखनीय है कि चयन प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाने के बाद उसकी शर्त्तों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता तथा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा किया जाना है परन्तु इससे इतर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार के खेलों जिनमें पारितोषिक दिया जा रहा है को छोड़कर भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय एवं रेलवे बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त खेल विधाओं को मान्यता दी गई । आज तक खेल प्रेमी नियुक्ति नहीं होने से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं । अत: विज्ञापन अनुसार नियुक्ति हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	सामान्य प्रशासन

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/2021- 1344 / वि०स०, पटना, दिनांक- 20 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / नगर विकास एवं आवास तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/2021- 1344 / वि०स०, पटना, दिनांक- 20 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

20/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

20/3/21